

नगरसभाबाट पारित विधेयक

सम्बत् २०७४ सालको ऐन नं. १

बेलवारी नगरपालिकाको आर्थिक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

प्रस्तावना :

बेलवारी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले ,

नेपालको सविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम बेलवारी नगरपालिकाको नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ ।

नगर कार्यपालिकाबाट सिफारिस मिति: २०७४/०९/२६ गते

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :

(१) यो ऐनको नाम आर्थिक ऐन, २०७४ रहेको छ ।

(२) यो ऐन नगर सभाबाट स्वीकृत भएपछि बेलवारी नगरपालिका क्षेत्रमा लागु हुनेछ ।

२. सम्पत्ति कर :

यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूची (१) बमोजिम एकीकृत सम्पत्तिकर लगाईने र असुल गरिनेछ ।

३. भूमि कर (मालपोत) :

यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूची (२) बमोजिम भूमि कर (मालपोत) लगाईने र असुल गरिनेछ ।

४. घर बहाल कर :

यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा अनुसूची (३) बमोजिम घर बहाल कर लगाईने र असुल गरिनेछ ।

५. व्यवसाय कर :

यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पुँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारका आधारमा अनुसूची (४) बमोजिम व्यवसाय कर लगाईने र असुल गरिनेछ ।

६. बहाल विटौरी शुल्क :

यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेका अनुसूची (५) मा उल्लेख भए अनुसार हाट बजार वा पसलमा सोही अनुसूचीमा भएको व्यवस्था अनुसार बहाल विटौरी शुल्क लगाईने र असुल गरिनेछ ।

७. विज्ञापन कर :

यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूची (६) बमोजिम विज्ञापन कर लगाईने र असुल गरिनेछ । तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थमा सोही बमोजिम हुनेछ ।

८. मनोरन्जन कर :

यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूची (७) बमोजिम मनोरन्जन कर लगाईने र असुल गरिनेछ । तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थमा सोही बमोजिम हुनेछ ।

९. सेवा शुल्क दस्तुर :

यस नगरपालिकाले निर्माण, संचालन व्यवस्थापन गरेका अनुसूची (८) मा उल्लेखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाईने र असुल गरिनेछ ।

१०. दण्ड जरिवाना र नियमित दस्तुर :

यस नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र नगरपालिकाको स्वीकृत विना निर्माण भएका भौतिक संरचना, घर तथा अन्य भवन, टहराहरुलाई भवन सहिंता, भवन निर्माण मापदण्ड र नपाबाट स्वीकृत मापदण्ड भित्र पर्नेको हकमा नगरपालिकाको निर्णयानुसार नक्सा स्वीकृत गरी नियमित गर्नुपर्ने भएमा अनुसूची ९ मा उल्लेखित दरमा दण्ड, जरिवाना र नियमित दस्तुर लगाईने र असुल गरिनेछ ।

११. सवारी साधन कर :

यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसूची (४) बमोजिम सवारी साधन कर लगाईने र असुल गरिने छ । तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थमा सोही बमोजिम हुनेछ ।

१२. जडीबुटी, कवाडी, जीबजन्तु कर :

यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै ब्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरेको जीबजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीबजन्तुको हाड, सिड, प्वाँख, छाला जस्ता वस्तुको ब्यवसायिक कारोबार गरेबापत अनुसूची (४) बमोजिम कर लगाईने र असुल गरिनेछ ।

१३. पार्किङ शुल्क :

नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराएर बापत अनुसूची (४) बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाईने र असुल गरिनेछ ।

१४. पर्यटन शुल्क :

यस नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकहरुबाट अनुसूची ४ मा उल्लेखित दरमा पर्यटन शुल्क लगाईने र असुल गरिनेछ । तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थमा सोही बमोजिम हुनेछ ।

१५. कर छुट :

यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका ब्यक्ति वा संस्थाहरुलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिईने छैन । तत्कालीन स्थानीय निकायको कानून बमोजिम निर्धारण भएका सबै प्रकारका राजस्व वक्यौता रकम, दण्ड जरिवानालाई छुट दिईने छैन । कर छुट र छलीमा संलग्न पदाधिकारीलाई यस्तो छुट र छलीको रकम सरकारी बाँकी सरह सम्बन्धित पदाधिकारीबाट असुल उपर गरिनेछ ।

१६. कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि :

यो ऐनमा भएको ब्यबस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि नगरपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ । अनुसुची १ देखि अनुसुची ९ सम्ममा उल्लेख भएका देखि वाहेकका कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी ब्यवस्था नगरसभाले तोकेअनुसार हुनेछ ।

**दफा २ सगँ सम्बन्धित
अनुसुची १**

आ.व. २०७४/०७५ को एकिकृत सम्पत्ति करको लागि जग्गाको मुल्याङ्कन दर रेट र सम्पत्ति करको दररेट सूची

| सि.नं. | क्षेत्र | वर्ग | सडक | प्रति कठ्ठा रु. |
|------------------|-------------------|------|---|-----------------|
| वडा नं. १ | | | | |
| १ | आवास क्षेत्र | क | रत्न मार्गले छोएका सडक दायांबायांको जग्गाहरु वडा नं. १ र २ को सिमानाबाट जंगलसम्मका जग्गाहरु | २५००००/- |
| २ | आवास क्षेत्र | ख | रत्नमार्गलाई छुने शाखा बाटाहरु वडा नं. १ र २ को सिमाना देखि जंगलसम्मका जग्गाहरु | १५००००/- |
| ३ | कृषि क्षेत्र | | वडा नं. १ र २ को सिमाना देखि जंगलसम्मका जग्गाहरु कुनै पनि शाखा बाटाहरुले नछोएको जग्गाहरु । | ६००००/- |
| ४ | बगर क्षेत्र | क | खोला उकाश जग्गाहरु | ३०,०००/- |
| ५ | बगर क्षेत्र | ख | खोला कुदेको वा बगर जग्गाहरु | १५,०००/- |
| वडा नं. २ | | | | |
| १ | व्यापारिक क्षेत्र | क | लोहन्द्रा खोलादेखि विन्ध्यावासिनी मिलसम्म पूर्व पश्चिमलोकमार्गले छोएको उत्तरतर्फका जग्गाहरु | २,००,००००/- |
| २ | व्यापारिक क्षेत्र | ख | विन्ध्यावासिनी मिल पूर्व देखि दुर्गा मन्दिर सम्मको पूर्व पश्चिम लोकमार्ग उत्तर जग्गाहरु र रत्न मार्गको दायांबायां बसन्त बस्नेतको घरसम्म साप्ताहिक हाटको बजार क्षेत्र भावना टि.वि. पसलबाट पश्चिम साप्ताहिक बजार जाने सडकको दायांबायांका जग्गाहरु | १५,००,०००/- |
| ३ | आवास क्षेत्र | क | अन्नपूर्ण डिपार्टमेन्टबाट उत्तर जाने सडक विन्ध्यावासिनी मिलबाट दुर्गा मन्दिर र भोज राज बस्नेतको घरबाट उत्तर जाने सडक बसन्त बस्नेतको घर उत्तर दायांबायांका जग्गाहरु | ६,००,०००/- |
| ४ | आवास क्षेत्र | ख | लाल ब. बस्नेत र होम बहादुर खुलालको घर उत्तर रत्नमार्गलाई छुने दायांबायां अमना कल्भर्ट सम्मका जग्गाहरु | ५,००,०००/- |
| ५ | आवास क्षेत्र | ग | रत्नमार्गलाई छुने अमना कल्भर्ट उत्तर १ नं वडाको | ३,००,०००/- |

| | | | | |
|------------------|-------------------|---|---|-------------|
| | | | सिमानासम्म | |
| ६ | कृषि क्षेत्र | क | लाल ब. बस्नेत र होम बहादुर खुलालको घर उत्तर, पूर्व जाने सडक तथा शाखाबाटारु रत्नमार्ग देखि पूर्व तर्फ उत्तर दक्षिण बाटोले छुने जग्गाहरु | २,५०,०००/- |
| ७ | कृषि क्षेत्र | ख | अमना पुल उत्तर रत्नमार्गबाट छुटेका दायांबायां शाखाबाटोका जग्गाहरु र लाल बहादुर बस्नेत र होम बहादुर खुलालको घरबाट अमना शिशौली पुलसम्म रत्नमार्गले नछोएका शाखाबाटोको पश्चिम तर्फका जग्गाहरु | १,५०,०००/- |
| ८ | कृषि क्षेत्र | ग | लाल ब. बस्नेत र होम बहादुर खुलालको घर उत्तर पश्चिम बाटोले नछोएका जग्गाहरु र अन्य सबै बाटोले नछोएका वडा नं. १ को सिमाना सम्मका जग्गाहरु । | १०००००/- |
| ९ | बगर क्षेत्र | क | खोला उकाश जग्गाहरु | ५०,०००/- |
| १० | बगर क्षेत्र | ख | खोला कुदेको वा बगर जग्गाहरु | ३०,०००/- |
| वडा नं. ३ | | | | |
| १ | व्यापारिक क्षेत्र | क | लोहन्द्रा खोलादेखि कृषिमार्गसम्म पूर्व पश्चिम लोकमार्गले छोएका जग्गाहरु | २०,००,०००/- |
| २ | व्यापारिक क्षेत्र | ख | कृषि मार्ग पूर्वबाट नगरपालिका जाने सडकको पूर्व पश्चिम लोकमार्गले छोएका दक्षिणका जग्गाहरु | १५,००,०००/- |
| ३ | व्यापारिक क्षेत्र | ग | पूर्व पश्चिम लोकमार्ग लाई छुने मुख्य सडकहरु, र पुन्य चोक, खानेपानी मार्ग, देवेन्द्र सुवेदीको घर उत्तर सम्मको जग्गाहरु | ८,००,०००/- |
| ४ | आवास क्षेत्र | क | पुन्य चोक देखि दक्षिण शिशौली खोला पुलसम्म करमडांडा उत्तर पूर्वपश्चिम लोकमार्गसंग जोडिएका सडकलाई छुने जग्गाहरु | ६,००,०००/- |
| ५ | आवास क्षेत्र | ख | पूर्व पश्चिमलोकमार्गसंग जोडिएका सडकलाई छुने शाखा बाटोहरु शिशौली खोला पुल करमडांडा उत्तर राजमार्ग देखि दक्षिणका शाखाबाटारु काठको पुलसम्मका जग्गाहरु । | ४,००,०००/- |
| ६ | आवास क्षेत्र | ग | शिशौली खोला दक्षिण काठेपुलसम्म कृषि मार्गलाई छुने दायाबायांका जग्गाहरु | ३,५०,०००/- |

| | | | | |
|------------------|-------------------|---|--|-------------|
| ७ | आवास क्षेत्र | घ | काठे पुल दक्षिण वडा नं. ३ को सिमानासम्म दायबायांका जग्गाहरु | २,५०,०००/- |
| ९ | आवास क्षेत्र | ड | कृषिमार्गलाई छुने शाखावाटाहरुको जग्गाहरु सिमौली कलभर्ट दक्षिण वडा नं. ३ को सिमाना क्षेत्र सम्मका जग्गाहरु | २००,०००/- |
| १० | कृषि क्षेत्र | क | करमडांडा सिमौलीखोला उत्तर बाटोले नछोएको जग्गाहरु | २,००,०००/- |
| ११ | कृषि क्षेत्र | ख | करमडांडा सिमौलीखोला दक्षिण ३ नम्बरको सिमाना सम्मका बाटोले नछोएकाजग्गाहरु | १,००,०००/- |
| १२ | बगर क्षेत्र | क | खोला उकास जग्गाहरु | ५०,०००/- |
| १३ | बगर क्षेत्र | ख | खोला कुदेको वा बगर जग्गाहरु | ३०,०००/- |
| वडा नं. ४ | | | | |
| १ | व्यापारिक क्षेत्र | क | किस्ती खोलादेखि लोहन्द्रा खोलाको पूल राजमार्ग उत्तर दक्षिण सम्मका जग्गाहरु | १२,००,०००/- |
| २ | व्यापारिक क्षेत्र | ख | शुक्रमार्ग देखि सदभाव चोकसम्मको बजार र कृषि सेवाकेन्द्र पूर्वको बाटो दायबायां र राजमार्ग दक्षिण शुक्रमार्गको कर्ण बहादुर धिमालको घरसम्मका जग्गाहरु | ६,००,०००/- |
| ३ | आवास क्षेत्र | क | सदभाव चोक उत्तर सरस्वती टोलहुँदै केरावारी सिमानासम्म, शुक्रमार्ग दायबायां दक्षिण कर्ण ब. धिमालको घर दक्षिण थापा चोक उत्तर लक्ष्मी चोक सम्मका सडकका दायबायांका जग्गाहरु | ६,००,०००/- |
| ४ | आवास क्षेत्र | ख | शुक्रमार्ग र सिंहदेवि मार्ग लाई छुने भित्री शाखा सडकलाई छुने जग्गाहरु, खिना बस्नेतको घर दक्षिण तर्फका र सिंहदेवि सडक लक्ष्मी चोक उत्तरका दायबायांका जग्गाहरु | ३,००,०००/- |
| ५ | आवास क्षेत्र | ग | साप्ताहिक शुक्रबारे बजार देखि उत्तर गौतम टोल हुँदै गायत्री भण्डारीको घरसम्म जानेबाटो को दायबायांको जग्गा | ३,००,०००/- |
| ६ | आवास क्षेत्र | घ | शुक्रमार्ग र सिंहदेविमार्ग लाई छुने भित्री शाखावाटोहरु, खिना बस्नेतको घर उत्तर लोकतान्त्रीक मार्ग केरावारी सिमानासम्मका जग्गाहरु | २,५०,०००/- |

| | | | | |
|---|--------------|---|--|------------|
| ७ | कृषि क्षेत्र | क | सद्भाव चोक देखि दक्षिण अमर धिमालको घर उत्तर रहेको सडकमार्गले नछोएको जग्गाहरु | २,००,०००/- |
| ८ | कृषि क्षेत्र | ख | सद्भाव चोक देखि उत्तर शाखाबाटोहरुले नछोएका, अमर धिमालको घर दक्षिण रहेको शडकको शाखाबाटोलाई नछुने जग्गाहरु, गौतम टोल देखि गायत्री भण्डारीको घरजाने बाटो पूर्वका जग्गाहरु | १,००,०००/- |
| ८ | बगर क्षेत्र | क | खोला कुदेको वा बगर जग्गाहरु | ३०,०००/- |
| ९ | बगर क्षेत्र | ख | खोला उकास जग्गाहरु | ५०,०००/- |

वडा नं. ५

| | | | | |
|---|--------------|---|---|------------|
| १ | आवास क्षेत्र | क | जनमार्ग दायाँबायाँ र पृथ्वीमार्ग पश्चिम शान्तिचोक सम्म उक्त बाटोहरुले छुने जग्गाहरु | २,५०,०००/- |
| २ | आवास क्षेत्र | ख | शैनिक मार्ग दायाँबायाँ, सिम्पाने चोक देखि बुधबारे हुँदै पृथ्वीमार्ग लाई छुने जग्गाहरु | २,००,०००/- |
| ३ | आवास क्षेत्र | ग | जनमार्ग र पृथ्वीमार्गलाई छुने शाखा बाटोले छोएको जग्गाहरु र अन्य शाखाबाटोले छोएका जग्गाहरु | १,५०,०००/- |
| ३ | कृषि क्षेत्र | क | वडा नं. ५ का बाटोहरुले नछोएको जग्गाहरु | १,००,०००/- |
| ४ | बगर क्षेत्र | क | खोला उकास जग्गाहरु | ५०,०००/- |
| ५ | बगर क्षेत्र | ख | खोला कुदेको वा बगर जग्गाहरु | १५,०००/- |

वडा नं. ६

| | | | | |
|---|--------------|---|--|------------|
| १ | आवास क्षेत्र | क | पृथ्वीमार्गलाई छुने सिमसार देखि यलम्बर चोकसम्म दायाँ बायाँका जग्गाहरु | २,५०,०००/- |
| २ | आवास क्षेत्र | ख | पंचज्योति स्कूल हुँदै जाने सडक र यमनाथ अधिकारीको घर हुँदै बाबुराम टोलसम्म जाने सडकका दायाँबायाँका जग्गाहरु | २,००,०००/- |
| ३ | आवास क्षेत्र | ग | सिमसार देखि यलम्बर चोक सम्मका शाखाबाटोहरुले छोएको जग्गाहरु वडा नं ७ को सिमानासम्मका जग्गाहरु | १,५०,०००/- |
| ४ | कृषि क्षेत्र | | मूल बाटो र शाखाबाटोलाई नछोएको जग्गाहरु | १,००,०००/- |
| ५ | बगर क्षेत्र | क | खोला उकास जग्गाहरु | ५०,०००/- |

| | | | | |
|------------------|-------------------|---|---|------------|
| ६ | बगर क्षेत्र | ख | खोला कुदेको वा बगर जग्गाहरु | १०,०००/- |
| वडा नं. ७ | | | | |
| १ | आवास क्षेत्र | क | जनमार्गलाई छुने दायाँ बायाँ धरहरा चोकदेखि उत्तरका जग्गाहरु | २,५०,०००/- |
| २ | आवास क्षेत्र | ख | कृषिमार्ग, पृथ्वीमार्ग, जनमार्ग धरहराचोकबाट दक्षिण मुलबाटोलाई छुने जग्गाहरु | २,००,०००/- |
| ३ | आवास क्षेत्र | ग | कृषि मार्ग, पृथ्वीमार्ग र जनमार्गलाई छुने शाखा बाटोहरु वडा नं. ८ को सिमानासम्मका जग्गाहरु | १,५०,०००/- |
| ४ | कृषि क्षेत्र | | मूल बाटो र शाखाबाटोलाई नछोएको जग्गाहरु | ८०,०००/- |
| ५ | बगर क्षेत्र | क | खोला उकास जग्गाहरु | ३०,०००/- |
| ६ | बगर क्षेत्र | ख | खोला कुदेको वा बगर जग्गाहरु | १०,०००/- |
| वडा नं. ८ | | | | |
| १ | आवास क्षेत्र | क | जनमार्गले छोएको दरलोकना पुल देखि नहरसम्मको दायाँबायाँका जग्गाहरु | २,५०,०००/- |
| २ | आवास क्षेत्र | ख | कृषि मार्ग, जनमार्ग र पृथ्वीमार्गलाई छुने दायाँ बायाँका जग्गाहरु | २,००,०००/- |
| ३ | आवास क्षेत्र | ग | कृषि मार्ग, जनमार्ग हुलाकी मार्ग र पृथ्वीमार्गलाई छुने शाखा बाटोहरुको दायाँ बायाँका जग्गाहरु तथा अन्य बाटोहरुले हुने जग्गाहरु | १,००,०००/- |
| ४ | कृषि क्षेत्र | | मूल बाटो र शाखाबाटोलाई नछोएको जग्गाहरु | ५०,०००/- |
| ५ | बगर क्षेत्र | क | खोला उकास जग्गाहरु | ३०,०००/- |
| ६ | बगर क्षेत्र | ख | खोला कुदेको वा बगर जग्गाहरु | १०,०००/- |
| वडा नं. ९ | | | | |
| १ | ब्यापारिक क्षेत्र | क | दरलोकना खोला देखि पश्चिम NCELL टावर रहेको चतरा नहरको बाटोले छोएको र बजार दक्षिण शंकर शाहको घर सम्मको जग्गाहरु | ३,००,०००/- |
| २ | आवास क्षेत्र | क | ब्यापारिक क्षेत्र बाहेक चतरा मुल नहर बाटोमा जोडिएको | २,००,०००/- |

| | | | | |
|-------------------|--------------|---|--|------------|
| | | | जग्गाहरु | |
| ३ | आवास क्षेत्र | ख | लक्ष्मीनारायण मार्गले छोएको दायाँ बायाँको जग्गाहरु | १,२०,०००/- |
| ४ | आवास क्षेत्र | ग | लक्ष्मीनारायण मार्गले छोएको र अन्य शाखा बाटो छोएको जमिनहरु | ८०,०००/- |
| ५ | कृषि क्षेत्र | | कुनैपनि बाटोले नछोएको जग्गाहरु | ५०,०००/- |
| ६ | बगर क्षेत्र | क | खोला उकास जग्गाहरु | ३०,०००/- |
| | बगर क्षेत्र | ख | खोला कुदेको वा बगर जग्गाहरु | १०,०००/- |
| वडा नं. १० | | | | |
| १ | आवास क्षेत्र | क | चतरा मुल नहर सडकलाई छोएको जमिनहरु | २,००,०००/- |
| २ | आवास क्षेत्र | ख | विहिवारे चोक देखि मोहनडागी सडक, हुलाकी मार्ग हुँदै चेंगामारी सम्मका राधाकृष्ण मन्दिर देखि वडा नं. ९ सम्म जानेबाटो को दायाँबायाँका जग्गाहरु | १,००,०००/- |
| ३ | आवास क्षेत्र | ग | मूल बाटोलाई छुने शाखा बाटोहरुको दायाँ बायाँका जग्गाहरु | ६०,०००/- |
| ४ | कृषि क्षेत्र | | कुनै पनि बाटोहरुलाई नछुने जग्गाहरु | ४०,०००/- |
| ५ | बगर क्षेत्र | | खोला उकास जग्गाहरु | १५,०००/- |
| ६ | बगर क्षेत्र | | खोला कुदेको वा बगर जग्गाहरु | १०,०००/- |
| वडा नं. ११ | | | | |
| १ | आवास क्षेत्र | क | लक्ष्मीमार्ग सोराभाग सडक खण्डमा पर्ने दायाँ बायाँका जग्गाहरु | २,००,०००/- |
| | आवास क्षेत्र | ख | चतरा मुल नहर बाटो छुने दक्षिणका जग्गाहरु | २,००,०००/- |
| | आवास क्षेत्र | ग | चतरा मुल नहर सडक छुने उत्तरका सडकहरु, शाखा नहर (सोमबारे - सोराभाग, बरायति शाखा सडक) र हनुमान मन्दिर सडक | १५०,०००/- |
| २ | आवास क्षेत्र | घ | दुर्गा मन्दिर सडक, हुलाकी मार्ग सडक आदर्श टोल सडक बुद्धमार्ग दायाँबायाँका जग्गाहरु | १,००,०००/- |
| ३ | आवास क्षेत्र | ङ | माथिकासंग जोडिएका शाखाबाटोहरूसंग जोडिएको | ८०,०००/- |

| | | | जमिनहरु | |
|---|--------------|---|------------------------------------|----------|
| ४ | कृषि क्षेत्र | | कुनै पनि बाटोहरुलाई नछुने जग्गाहरु | ५०,०००/- |
| ६ | बगर क्षेत्र | क | खोला उकास जग्गाहरु | १५,०००/- |
| ७ | बगर क्षेत्र | ख | खोला कुदेको वा बगर जग्गाहरु | १०,०००/- |

नोट:- आवास तथा व्यापारिक क्षेत्रको लागि बहुदर प्रणालिबाट जग्गाको मूल्याङ्कन गरिएको छ । बहुदर प्रणालि भन्नाले ०-३-० सम्म साविक दर (माथिकै) मा, ०-३-० भन्दा माथि ०-१०-० सम्म साविक (माथि) को दरमा ३०% कममा, र ०-१०-० भन्दा माथि जतिसुकै भए पनि साविक भन्दा ५०% कममा मूल्याङ्कन गरिनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को लागि संरचना मूल्याङ्कन दर रेटको सूची

| सि.नं. | समूह | स्थान/क्षेत्र | दर प्रति वर्ग फिट रु. | |
|--------|--|---------------------|-----------------------|--|
| १ | सबै प्रकारका आर सि.सि. घर, पक्का जोडाई छत ढलान | ब्यापारिक क्षेत्र | ७०० | |
| २ | सबै प्रकारका आर सि.सि. घर, पक्का जोडाई छत ढलान | आवाशिय क्षेत्र | ५०० | |
| ३ | सबै प्रकारका आर सि.सि. घर, पक्का जोडाई छत ढलान | कृषि क्षेत्र | ३०० | |
| ४ | सबै प्रकारका पक्की, ईटा जोडाई सिमेन्ट, वा टायलको छाना | ब्यापारिक क्षेत्र | २०० | |
| ५ | सबै प्रकारका पक्की, ईटा जोडाई सिमेन्ट, वा टायलको छाना | आवाशिय क्षेत्र | १५० | |
| ६ | सबै प्रकारका पक्की, ईटा जोडाई सिमेन्ट, वा टायलको छाना | कृषि क्षेत्र | १०० | |
| ७ | माटोको जोडाई, सेन्टर बेराको घर, काठको घर, टिन वा टायल छाना | ब्यापारिक क्षेत्र | १०० | |
| ८ | माटोको जोडाई, सेन्टर बेराको घर, काठको घर, टिन वा टायल छाना | आवासिय क्षेत्र | ७५ | |
| ९ | माटोको जोडाई, सेन्टर बेराको घर, काठको घर, टिन वा टायल छाना | कृषि क्षेत्र | ५० | |
| १० | ढुङ्गा वा ईटाको पर्खाल | | ३० | |
| ११ | कच्ची घर माथिका प्रकरणमा नपरेका फुसको घरहरु | एकमुष्ट रु २०००० | | |

(एकिकृत सम्पत्ति करको लागि निर्धारण कर तालिका)

| सि.नं. | रु. देखि | रु. सम्म | लाग्ने दर ब्यबस्था | कर निर्धारण रु. | कैफियत |
|--------|----------|----------|--------------------|--------------------|--------|
| १ | ०१ | ४००००० | | ७५ | |
| २ | ४००००१ | ५००००० | | १०० | |
| ३ | ५००००१ | ६००००० | | १२५ | |
| ५ | ६००००१ | ७००००० | | १५० | |
| ६ | ७००००१ | ८००००० | | १७५ | |
| ७ | ८००००१ | ९००००० | | १९० | |
| ८ | ९००००१ | १०००००० | | २०० | |
| ९ | १०००००१ | १२००००० | | २५० | |
| १० | १२००००१ | १४००००० | | ३०० | |
| ११ | १४००००१ | १६००००० | | ३५० | |
| १२ | १६००००१ | १८००००० | | ३८० | |
| १३ | १८००००१ | २०००००० | | ४०० | |
| १४ | २०००००१ | २२००००० | | ५०० | |
| १५ | २२००००१ | २४००००० | | ५५० | |
| १६ | २४००००१ | २६००००० | | ६५० | |
| १७ | २६००००१ | २८००००० | | ८०० | |
| १८ | २८००००१ | ३०००००० | | १००० | |
| १९ | ३०००००१ | ३२००००० | | १२०० | |
| २० | ३२००००१ | ३४००००० | | १३०० | |
| २१ | ३४००००१ | ३६००००० | | १४०० | |
| २२ | ३६००००१ | ३८००००० | | १५०० | |
| २३ | ३८००००१ | ४०००००० | | १७५० | |

| | | | | | |
|----|---------|----------|--|-------|--|
| ୨୪ | ୪୦୦୦୦୦୧ | ୪୨୦୦୦୦୦ | | ୨୦୦୦ | |
| ୨୫ | ୪୨୦୦୦୦୧ | ୪୪୦୦୦୦୦ | | ୨୨୫୦ | |
| ୨୬ | ୪୪୦୦୦୦୧ | ୪୬୦୦୦୦୦ | | ୨୫୦୦ | |
| ୨୭ | ୪୬୦୦୦୦୧ | ୪୮୦୦୦୦୦ | | ୨୭୫୦ | |
| ୨୮ | ୪୮୦୦୦୦୧ | ୫୦୦୦୦୦୦ | | ୩୦୦୦ | |
| ୨୯ | ୫୦୦୦୦୦୧ | ୫୫୦୦୦୦୦ | | ୩୫୦୦ | |
| ୩୦ | ୫୫୦୦୦୦୧ | ୬୦୦୦୦୦୦ | | ୪୦୦୦ | |
| ୩୧ | ୬୦୦୦୦୦୧ | ୬୫୦୦୦୦୦ | | ୪୫୦୦ | |
| ୩୨ | ୬୫୦୦୦୦୧ | ୭୦୦୦୦୦୦ | | ୫୦୦୦ | |
| ୩୩ | ୭୦୦୦୦୦୧ | ୭୫୦୦୦୦୦ | | ୫୫୦୦ | |
| ୩୪ | ୭୫୦୦୦୦୧ | ୮୦୦୦୦୦୦ | | ୬୨୫୦ | |
| ୩୫ | ୮୦୦୦୦୦୧ | ୮୫୦୦୦୦୦ | | ୭୦୦୦ | |
| ୩୬ | ୮୫୦୦୦୦୧ | ୯୦୦୦୦୦୦ | | ୮୦୦୦ | |
| ୩୭ | ୯୦୦୦୦୦୧ | ୯୫୦୦୦୦୦ | | ୯୦୦୦ | |
| ୩୮ | ୯୫୦୦୦୦୧ | ୧୦୦୦୦୦୦୦ | | ୧୦୦୦୦ | |
| ୩୯ | ୧୦୦୦୦୦୧ | ୧୧୦୦୦୦୦୦ | | ୧୨୦୦୦ | |
| ୪୦ | ୧୧୦୦୦୦୧ | ୧୨୦୦୦୦୦୦ | | ୧୩୦୦୦ | |
| ୪୧ | ୧୨୦୦୦୦୧ | ୧୩୦୦୦୦୦୦ | | ୧୪୦୦୦ | |
| ୪୨ | ୧୩୦୦୦୦୧ | ୧୪୦୦୦୦୦୦ | | ୧୫୦୦୦ | |
| ୪୩ | ୧୪୦୦୦୦୧ | ୧୫୦୦୦୦୦୦ | | ୧୬୦୦୦ | |
| ୪୪ | ୧୫୦୦୦୦୧ | ୧୬୦୦୦୦୦୦ | | ୧୭୦୦୦ | |
| ୪୫ | ୧୬୦୦୦୦୧ | ୧୭୦୦୦୦୦୦ | | ୧୮୦୦୦ | |
| ୪୬ | ୧୭୦୦୦୦୧ | ୧୮୦୦୦୦୦୦ | | ୧୯୦୦୦ | |
| ୪୭ | ୧୮୦୦୦୦୧ | ୧୯୦୦୦୦୦୦ | | ୧୯୫୦୦ | |

| | | | | | |
|----|----------|-----------|---------------------------|-------|--|
| ४८ | १९०००००१ | २००००००० | | २०००० | |
| ४९ | २००००००१ | २२५००००० | | २५००० | |
| ५० | २२५००००१ | २५०००००० | | २७००० | |
| ५१ | २५०००००१ | २७५००००० | | २९००० | |
| ५२ | २७५००००१ | ३००००००० | | ३१००० | |
| ५३ | ३००००००१ | ३२५००००० | | ३४००० | |
| ५४ | ३२५००००१ | ३५०००००० | | ३७००० | |
| ५५ | ३५०००००१ | ३७५००००० | | ४०००० | |
| ५६ | ३७५००००१ | ४००००००० | | ४३००० | |
| ५७ | ४००००००१ | ४२५००००० | | ४७००० | |
| ५८ | ४२५००००१ | ४५०००००० | | ५१००० | |
| ५९ | ४५०००००१ | ४७५००००० | | ५५००० | |
| ६० | ४७५००००१ | ५००००००० | | ६०००० | |
| ६१ | ५००००००० | भन्दामाथि | ६०००० + रु २ प्रतिहजार | | |

**दफा ३ सँग सम्बन्धीत
अनुसुची २**

साविक बाहुनी र डाँगीहाट गा.वि.स. लाई बेलवारी नगरपालिका को वडा कार्यालयमा गाभिएका क्षेत्रमा कायम मालपोत, भुमी कर तथा घरजग्गा कर को दररेट :

| | | | |
|---|--------------------|------------------------------------|----------------------------|
| १ | मालपोत तथा भुमी कर | १. ४ कठ्ठा सम्मको | ५०.०० |
| | | २. ४ कठ्ठा १ धुर देखी १ विघासम्मको | २००.०० |
| | | ३. १ विघा १ धुर देखी २ विघासम्मको | ४००.०० |
| | | ४. २विघा १ धुर देखी ३ विघासम्मको | ६००.०० |
| | | ५. ३ विघाह देखी ५ विघाह सम्म | १०००.०० |
| | | ६. ५ विगाहा १ धुर देखी माथि | प्रति कठ्ठा रु १०० का दरले |

**दफा ४ सँग सम्बन्धीत
अनुसुची ३**

बहाल कर दुई (२) प्रतिशतका दरले लगाउने, न्युनतम बहाल निम्नअनुसार हुनेछ ।

| सि.न. | विवरण | बहाल दर |
|-------|-----------------------|-----------------------------|
| १ | व्यापारिक क्षेत्र (क) | प्रति स्क्वायर फुट रु २०.०० |
| २ | व्यापारिक क्षेत्र (ख) | प्रति स्क्वायर फुट रु १५.०० |
| ३ | व्यापारिक क्षेत्र (ग) | प्रति स्क्वायर फुट रु १०.०० |

नोट: क्षेत्र वर्गीकरण एकिकृत सम्पतीकर लागु भएको सरह हुनेछ ।

**दफा ५ सँग सम्बन्धीत
अनुसुची ४**

व्यवसाय कर

पुंजीको आधारमा

१) व्यापारिक बस्तुहरु

क) चुरोट तथा मदिरा जन्य पदार्थ, हार्डवेयर, टायल्स, मार्बल तथा सेनीटरी र ज्वेलर्स सँग सम्बन्धित बस्तुहरुको व्यापार व्यावसाय (मदिरा र कोल्ड ड्रिंक सहितको किराना पसल समेत)

| सि.नं. | बिवरण | पारित कर रकम रु. |
|--------|--------------------------|------------------|
| १ | ५ लाख सम्म | १५००।- |
| २ | ५ लाख १ देखि १५ लाख सम्म | २२००।- |
| ३ | १५ लाख १ देखि १ करोडसम्म | ३५००।- |
| ४ | १ करोड १ देखि ५ करोडसम्म | ६०००।- |
| ५ | ५ करोड १ देखि माथि | १००००। |

ख) क्यामेरा, टेलीभिजन, फ्रिज लगायतका विधुतिय तथा विद्युतका सामग्री (सिडि प्लेयर, कम्प्युटर, मोबाईल लगायत सामग्री समेतका व्यवसायहरु)

| सि.नं. | बिवरण | पारित कर रकम रु. |
|--------|--------------------------|------------------|
| १ | ५ लाख सम्म | १०००१- |
| २ | ५ लाख १ देखि २० लाख सम्म | १७००१- |
| ३ | २० लाख १ देखि १ करोडसम्म | ३०००१- |
| ४ | १ करोड १ देखि ५ करोडसम्म | ४५००१- |
| ५ | ५ करोड १ देखि माथि | ८०००१- |

ग) ट्र्याक्टर विक्री, कार जीप, अटोमोबाईल, मोटरपार्टस, मोटरसाईकल, मिल, मेशिनरी आदि ।

| सि.नं. | बिवरण | पारित कर रकम रु. |
|--------|--------------------------------|------------------|
| १ | ५ लाख सम्म | २०००१- |
| २ | ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | २७००१- |
| ३ | १० लाख १ देखि २० लाख सम्म | ३५००१- |
| ४ | २० लाख १ देखि करोड सम्म | ४५००१- |
| ५ | १ करोड १ देखि माथि ५ करोड सम्म | ८०००१- |
| ६ | ५ करोड १ देखि माथि | १००००१ |

घ) किताब, कापी तथा स्टेशनरी संग सम्बन्धित व्यवसाय (औषधि पसल र किराना व्यवसाय समेतको हकमा)

| सि.नं. | बिवरण | पारित कर रकम रु. |
|--------|---------------------------|------------------|
| १ | | |
| २ | १ लाख सम्म | ५००१- |
| ३ | १ लाख १ देखि ३ लाख सम्म | १०००१- |
| ४ | ३ लाख १ देखि ५ लाख सम्म | १५००१- |
| ५ | ५ लाख १ देखि २० लाख सम्म | २५००१- |
| ६ | २० खाल १ देखि २५ लाख सम्म | ४०००१ |
| ७ | २५ लाख १ देखि माथि | ५०००१- |

ड) कृषिसंग सम्बन्धित व्यवसायको हकमा (कृषि फर्म, गाई, बाख्रा, सुगुर पालन, कुखुरापालन, मत्स्यपालन व्यवसाय आदी कृषि सामग्री औजार, मल, विऊ दाना, चोकर, पशुपंक्षि आहारा)

| सि.नं. | बिवरण | पारित कर रकम रु. |
|--------|--------------------------|------------------|
| १ | १ लाख सम्म | ५००१- |
| २ | १ लाख १ देखि ३ लाख सम्म | ७५०१- |
| ३ | ३ लाख १ देखि ५ लाख सम्म | १०००१- |
| ४ | ५ लाख १ देखि २० लाख सम्म | १५००१- |
| ५ | २० लाख देखि माथि | ३०००१- |

नोट प्रत्येक व्यवसायको लागि छुटाछुटै शुल्क लाग्ने छ ।

च) शिसा, फ्रेमिड, कार्पेट, साजावटका सामान र जनरल गुड्सहरु आदि ।

| सि.नं. | बिवरण | पारित कर रकम रु. |
|--------|-------|------------------|
|--------|-------|------------------|

| | | |
|---|---------------------------|--------|
| १ | १ लाख सम्म | ५००१- |
| २ | १ लाख १ देखि ५ लाख सम्म | १०००१- |
| ३ | ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | १५००१- |
| ४ | १० लाख १ देखि २० लाख सम्म | २५००१- |
| ५ | २० लाख देखि माथि | ४०००१- |

छ) कपडा, रेडिमेड कपडा आदि व्यवसाय

| सि.नं. | बिवरण | पारित कर रकम रु. |
|--------|---------------------------|------------------|
| १ | ३ लाख सम्म | १०००१- |
| २ | ३ लाख १ देखि ५ लाख सम्म | १५००१- |
| ३ | ५ लाख १ देखि १५ लाख सम्म | २५००१- |
| ४ | १५ लाख १ देखि ३० लाख सम्म | ४०००१- |
| ५ | ३० लाख १ देखि १ करोड सम्म | ६०००१- |
| ६ | १ करोड १ देखि ५ करोड सम्म | ८०००१- |
| ७ | ५ करोड १ देखि माथि | १००००१- |

ज) सवारी साधन शोरुम तथा विक्रीकक्ष आदि व्यवसाय

| सि.नं. | बिवरण | पारित कर रकम रु. |
|--------|------------------------------|------------------|
| १ | मोटरसाईकल | ५०००१ |
| २ | ई रिक्सा, सफारी, अटो टेम्पो | ३०००१ |
| ३ | पावर टिलर, ट्र्याक्टर शो रुम | ८०००१ |
| ४ | कार, जीप, भेन | १००००१ |

२) विशेष परामर्श तथा ब्यवसायिक सेवा

क) चिकित्सक, अहेव, कवीराज, होमियोपेथिक, आयुर्वेदिक, पशु डाक्टर, भेटरीनरी, सर्जिकल लागायत स्वस्थ संग सम्बन्धित ब्यवसायहरु ।

| सि.नं. | बिवरण | पारित कर रकम रु. |
|--------|---------------------------------------|------------------|
| १ | एम.डी. | ३०००१- |
| २ | एम.वि.वि.एस, पशु डाक्टर | १०००१- |
| ३ | पशु सहायक | ५००१- |
| ४ | कविराज, होमियोपेथि, आयुर्वेदिक डाक्टर | १०००१- |
| ५ | सर्जिकल सामान खुद्रालाई | १०००१- |
| ६ | औषधिपसल थोकलाई | ३०००१- |
| ७ | सर्जिकल सामान थोक | ३०००१- |
| ८ | भिडियो एक्स रे | २०००१- |
| ९ | कविराज, होमियोपेथि, आयुर्वेदिक अहेव | १०००१ |
| १० | शारिरिक ब्यायमका सामाग्री विक्री | १५००१- |

ख) टेलिचलचित्र, वृत्तचित्र निर्माण, परामर्श सेवा, अनुसन्धान तथा परामर्शदाता, अनुवादक, छापाखाना, प्रेश, स्क्रिन प्रिन्टर्स आदि ।

| सि.नं. | बिवरण | पारित कर रकम रु. |
|--------|---------------------------|------------------|
| १ | ३ लाख सम्म | १०००१- |
| २ | ३ लाख १ देखि ५ लाख सम्म | १५००१- |
| ३ | ५ लाख १ देखि १५ लाख सम्म | २०००१- |
| ४ | १५ लाख १ देखि २० लाख सम्म | २५००१- |
| ५ | २० लाख १ देखि १ करोड सम्म | ३५००१- |
| ६ | १ करोड १ देखि ५ करोड सम्म | ७०००१ |
| ७ | ५ करोड १ देखि माथि | १००००१- |

ग) केवुल नेटवर्क व्यवसाय
वार्षिक प्रतिग्राहक रु.१० का दरले व्यवसाय शुल्क लगाईने छ ।

घ) कानुनी व्यवसायी

| सि.नं. | बिवरण | पारित कर रकम रु. |
|--------|-----------------|------------------|
| १ | वरिष्ठ अधिवक्ता | २०००१- |
| २ | अधिवक्ता | १५००१- |
| ३ | लेखापढी | १०००१- |

ड) लेखापरिक्षक

| सि.नं. | बिवरण | पारित कर रकम रु. |
|--------|----------|------------------|
| १ | श्रेणी क | ३०००१- |
| २ | श्रेणी ख | १५००१- |
| ३ | श्रेणी ग | ७००१- |
| ४ | श्रेणी घ | ५००१- |

च) अन्य सेवाहरु वा फर्म:

| सि.नं. | बिवरण | पारित कर रकम रु. |
|--------|---------------------|------------------|
| १ | विमा एजेन्ट विदेशी | ३०००१- |
| २ | विमा एजेन्ट स्वदेशी | २०००१- |
| ३ | विज्ञापन एजेन्सी | २०००१- |
| ४ | शेयर दलाल | ५०००१- |
| ५ | अभिकर्ता | ५००१- |
| ६ | कानुनी फर्म | २०००१ |

छ) निर्माण कार्यमा सम्लग्न श्रमीक व्यावसायी (भवन निर्माण, विद्युत जडान तथा मर्मत, प्लम्बीगं, पेन्टर, आदी) को ईजाजत शुल्क रु.२०००१०० नविकरण शुल्क रु.१०००१०० लाग्ने

३ कुटानी पिसानी व्यवसायहरुको हकमा

| सि.नं. | बिवरण | पारित कर रकम रु. |
|--------|---|------------------|
| १ | कुटानी तथा पिसानी मात्र | ५००। |
| २ | कुटानी तथा पिसानी पेलानी | १०००।- |
| ३ | कुटानी तथा पिसानी, पेलानी चिउरा समेत | १५००।- |
| ४ | कुटानी तथा पिसानी, पेलानी चिउरा, मसाला समेत | २०००।- |
| ५ | कुटानी तथा पिसानी, पेलानी तथा विक्री समेत | ३०००।- |

४. उत्पादनमुलक उधोग

क) अर्ध प्रशोधित माल वा खेर गईरहेको माल वा अन्य सामानको प्रयोग र प्रशोधन गरि मालसामान उत्पादन गर्ने व्यवसाय जस्तो, खेर गईरहेको प्लाष्टिकबाट सामान निर्माण गर्ने र फोहोरबाट मल निर्माण गर्ने व्यवसायको हकमा व्यवसायको लगानी हेरी रु २००० देखि रु १०००० सम्म ।

५. पर्यटन सेवा व्यवसाय

आवास लज, होटल, फास्टफुड रेस्टुरा, रिसोर्ट ट्राभल्स एजेन्सी, स्वमीड पुल, कन्फेन्सहल आदि ।

| सि.नं. | बिवरण | पारित कर रकम रु. |
|--------|--------------------------|------------------|
| १ | १ लाख सम्म | ५००।- |
| २ | १ लाख देखि २ लाख सम्म | ७५०। |
| ३ | २ लाख १ देखि ५ लाख सम्म | १०००।- |
| ४ | ५ लाख १ देखि २० लाख सम्म | २०००।- |
| ५ | २० लाख भन्दा माथि | ३०००।- |
| ६ | रिसोर्टहरुको हकमा | थप रु ३०००।- |

६. संचार सेवा,पत्रपत्रिका,ईन्टरनेट, साईवर क्याफे,अनलाईन न्युज,कुरियर सेवा, एफएम रेडियो तथा टेलिभिजन समेत

| सि.नं. | बिवरण | पारित कर रकम रु. |
|--------|---------------------------|------------------|
| १ | ३ लाख सम्म | १०००। |
| २ | ३ लाख १ देखि ५लाख सम्म | १५००। |
| ३ | ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | २०००। |
| ४ | १० लाख १ देखि ५० लाख सम्म | ५०००। |
| ५ | ५० लाख १ देखि माथि | १००००। |
| ६ | मोवाइल टावर (वार्षिक) | १५०००। |

७. वित्तिय सेवा

| सि.नं. | बिवरण | पारित कर रकम रु. |
|--------|---|------------------|
| १ | निजी क्षेत्रबाट संचालीत बाणिज्य बैंक, विदेशी विमा कम्पनी (क वर्ग) | १५,०००। |
| २ | विकास बैंकहरु (ख वर्ग) | १००००।- |

| | | |
|----|---|--------|
| ३ | वित्तीय कम्पनीको मुख्य कार्यालय | ७५००। |
| ४ | विमा कम्पनी र मनि ट्रान्सफर | ३०००।- |
| ५ | १ करोड सम्म कारोवार (वासलात) भएका सहकारी | १०००।- |
| ६ | १ करोड १ भन्दा माथि ३ करोड सम्म | २०००।- |
| ७ | ३ करोड १ देखि ५ करोड सम्म | ३५००।- |
| ८ | ५ करोड १ देखि भएका सहकारीहरु | ५०००। |
| ९ | वित्तीय कम्पनीका शाखा कार्यालयहरु | ५०००। |
| १० | लघुवित्त कम्पनीको कार्यालय तथा शाखा कार्यालयहरु | ३०००। |
| ११ | इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरु | २०००। |

नोट: बचत तथा ऋणको कारोवार नगरी पूर्णतया कृषिमा आधारित सहकारीका हकमा वार्षिक शुल्क लिईने छैन । माथि उल्लेखित सहकारीहरुको सम्बन्धमा कुनै सिफारिस गर्नुपर्ने भएमा प्रति सिफारिस रु २००० लाग्ने छ । महिलाहरुद्वारा मात्र गठन भई सन्चालित सहकारी सस्थाहरुको दर्ता र नविकरण शुल्कमा लाग्ने दस्तुरको ५० प्रतिशत छुट दिइने छ ।

८. निजी तथा साभेदारी स्तरमा सन्चालित स्वास्थ्य सेवा प्रदायक क्लिनिक, अस्पताल, औषधालयहरु, थेरापीसेन्टर, रिसर्च सेन्टर, ल्याव तथा रेडियोलोजी आदी ।

| सि.नं. | बिवरण | पारित कर रकम रु. |
|--------|---------------------------|------------------|
| १ | ५ लाख सम्मको लागि | १०००। |
| २ | ५ लाख १ देखि २० लाख सम्म | २५००।- |
| ३ | २० लाख १ देखि १ करोड सम्म | ४०००। |
| ४ | १ करोड १ देखि ५ करोड सम्म | ६०००।- |
| ५ | ५ करोड देखि माथि | ७५००।- |

९. तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्रहरु

| सि.नं. | बिवरण | पारित कर रकम रु. |
|--------|--|------------------|
| १ | तालिम तथा अनुसन्धान, कम्प्युटर टाईपिङ लगायत फोटोकपी समेत संचालन भई काम गर्नेहरुको हकमा, कम्प्युटर तथा भाषा प्रशिक्षण, निजी क्षेत्रबाट दिईने शिक्षा सेवा तथा कोचिङ सेन्टर आदि । | २०००। |

१०. मर्मत सेवा

| सि.नं. | बिवरण | पारित कर रकम रु. |
|--------|---|------------------|
| १ | टेक्टर, बस, ट्रक, हेवी ईक्युपमेन्ट, कार, जीप, लगातय तिन पाग्रे सवारी डेन्टिड मोटर पार्टस, मिलमेशिनरी, एयरकुलर, टायर रिसोलिड मोटरसाईकल, हुडसिट मर्मत आदि | २०००। |
| २ | रेडियो, घडि, टिभि, ईलेक्ट्रोनिक मर्मत, फ्रिज, , मोटर तथा वाटरपम्प, स्टेप्लाइजर | १५००।- |
| ३ | ग्यासचल्लो सेल्स, डाईनोमाईट, गाडीको पम्प, टायरट्युब पंचर, ग्यास बल्लिड, रिक्सा मर्मत गर्ने, साईकल, लुगा सिउने मेशीन अन्य फोटोकपी व्याग आदी मर्मत | १०००। |

११. अन्य सेवा

| सि.नं. | बिवरण | पारित कर रकम रु. |
|--------|---|------------------|
| १ | बैदेशिक रोजगारिमा पठाउने संस्था, हाउजिड कम्पनी | ६०००१ |
| २ | उधोग, संघसंस्था आदिमा स्वदेशको लागि जनशक्ति सप्लाई गर्ने | २०००१- |
| ३ | कलर ल्याव | १०००१- |
| ४ | घरजग्गा खरिद विक्री, रियल स्टेट | ८०००१- |
| ५ | विज्ञापन सेवा फोटो स्टुडियो | २०००१- |
| ६ | ब्युटी पार्लर, केश श्रृंगार, साइनवोर्ड, पेन्टिङ, सैलुन नर्सरी | १०००१- |
| ७ | मासु (खसी, कुखुरा, रागा, बंगुर आदि) खुद्रा विक्रेता | १०००१- |
| ८ | मासु (खसी, कुखुरा, रागा, बंगुर आदि) थोक विक्रेता | १५००१- |
| ९ | पंचेबाजा | निशुल्क |
| १० | ब्रास वैण्डबाजा | १५००१- |
| ११ | सित भण्डार | ५०००१- |
| १२ | टेण्ट हाउस | ३०००१- |
| १३ | क्याटरिङ | २०००१- |
| १४ | सेलर मिल (उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिंग तथा विक्री) | १००००१ |
| १५ | एग्रोभेट | १०००१- |
| १६ | कवाडी पसल थोक | ७०००१- |
| १७ | कवाडी पसल खुद्रा | ५०००१- |
| १८ | ढुवानी सेवा शाखा भएका केरियर | ३५००१- |
| १९ | ढुवानी सेवा शाखा नभएको केरियर | २५००१- |
| २० | चस्मा विक्री गर्ने पसल | १५००१- |
| २१ | सेटरीङ ब्यावसाय | २५००१- |
| २२ | टेलरीङ ब्यावसाय | १५००१ |
| २३ | पेट्रोलियम पदार्थ बेच्ने पम्प | १००००१ |
| २४ | ग्यास विक्री डिलर | २०००१- |
| २५ | खाधान्न सम्बन्धि कांटा | १५००१- |
| २६ | डिपार्टमेन्टल स्टोर रेष्टुरां बेकरी सहितको | १५०००१- |
| २७ | सपिंग सेन्टर, मिनि मार्केट | ७०००१ |
| २८ | डिपार्टमेन्टल स्टोर | १००००१- |

१२. भाडा वर्तन, जुत्ताचप्पल, कस्मेटिक, मनहारी, हेल्थ केयर, कृतिम गहना विक्रेता

| सि.नं. | बिवरण | पारित कर रकम रु. |
|--------|---------------------------|------------------|
| १ | ५ लाख सम्मको लागि | १०००१ |
| २ | ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | १५००१- |
| ३ | १० लाख १ देखि ५० लाख सम्म | ३०००१ |
| ४ | ५० लाख देखि १ करोड सम्म | ५०००१- |

| | | |
|---|------------------|--------|
| ५ | १ करोड देखि माथि | ८०००१- |
|---|------------------|--------|

१३. क) उधोग

मैनवत्ती, अगरवत्ती, धातु उद्योग, चक उद्योग, दाना उद्योग, फिनेल उद्योग, निर उद्योग, औषधी उद्योग, उत्पादनमुलक उद्योगको डिपो, सौर्य उर्जा उत्पादन, मिश्री उत्पादन, चकलेट उद्योग, पापड चिप्स उद्योग, पाउरोटी उद्योग, बरफ उत्पादन, भुल तथा पर्दा उद्योग, घरेल कपडा बनाउने उद्योग, डेरी उत्पादन, चिनी उद्योग, डोरी डब्बा, वाल्टीन आदी बनाउने उद्योग, निर्माण उद्योग, खनिज उद्योग, सोलर तथा उर्जा मुलक उद्योग ।

| सि.नं. | बिवरण | पारित कर रकम रु. |
|--------|---------------------------|------------------|
| १ | ५ लाख सम्मको लागि | १०००१ |
| २ | ५ लाख १ देखि २० लाख सम्म | १५००१- |
| ३ | २० लाख १ देखि १ करोड सम्म | ४०००१ |
| ४ | १ करोड १ देखि ५ करोड सम्म | ६०००१- |
| ५ | ५ करोड देखि माथि | १००००१- |

ख) ग्रिल उधोग

| सि.नं. | बिवरण | पारित कर रकम रु. |
|--------|---------------------------|------------------|
| १ | | |
| २ | ३ लाख सम्मको | १५००१- |
| ३ | ३ लाख १ देखि ५ लाख सम्मको | २५००१ |
| ४ | ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | ४०००१- |
| ५ | १० लाख १ देखि २० लाख सम्म | ७,०००१- |
| ६ | २० लाख १ देखि माथि | १००००१- |

उल्लेखित व्यवसायको हकमा अन्य निकायलाई गरिने सिफारिस बापतको दस्तुर थप लाग्नेछ ।

ग) उल्लेख नभएका अन्य उधोगहरु

| सि.नं. | बिवरण | पारित कर रकम रु. |
|--------|--|------------------|
| १ | ट्युबलाईट उधोग, ब्याट्री उधोग, प्लाष्टीकका सामानहरु उत्पादन गर्ने उधोग, साबुन उत्पादन गर्ने उधोग आदि | ५०००१ |
| २ | वियर फ्याक्ट्री, मदिर उत्पादन उधोग, ल्युव उधोग | २५०००१- |
| ३ | सुर्तिजन्य उधोगहरु, पानमसला, गुटखा आदी | १००००१ |

१४. अन्य वर्गीकरण नखुलेका व्यावसाय

| सि.नं. | बिवरण | पारित कर रकम रु. |
|--------|--|------------------|
| १ | आलु, प्याज, हरियो तरकारी, फलफुल थोक विक्री | १५००१ |

| | | |
|---|------------------------------|-------|
| २ | खुद्रा तरकारी, फलफुल, पानपसल | ८००१- |
|---|------------------------------|-------|

नोट

१) माथि उल्लेखित प्रकृति, उपभोक्ता शिर्षकमा नपरेको व्यवसाय र उद्योग दर्ता हुन आएमा व्यवसाय र उद्योगको किसिम हेरी माथिको कर दरमा नघटनेगरी वार्षिक कर लिई व्यवसाय प्रमाणपत्र दिईनेछ ।

२) नगरपालिकामा दर्ता भई संचालनमा आएका फर्म, पसल, उद्योग आदि लाई बन्द गर्नुपर्दा आवश्यकता अनुसार निरीक्षण गरि विगत वर्षको लागने दस्तुर र जरिवाना समेत असुल गरि व्यवसाय बन्द सिफारिस दिईनेछ । र सोको विवरण छुट्टै फायलमा खडा गरि अध्यावधिक गरि राखिने छ ।

३) व्यवसायिक फर्म नामसारी गर्दा तिन पुस्तेभित्र रु २५० र सो भन्दा बाहिर नामसारी गर्दा रु ५०० राजश्वलिई नामसारी गरिनेछ ।

४) नगरपालिकालाई आवश्यक परेमा (व्यावसायको किसिम निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा) निजको व्यावसायको कारोबारको आन्तरिक राजस्व कार्यालय कारोबार प्रमाणित विवरण माग गर्न सकिने छ साथै नगरपालिकाले तोकेको कर्मचारीबाट निरीक्षण गरि निरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा कर निर्धारण गरिनेछ ।

५) यस कार्यालयलाई बुझाउनु तिर्नु पर्ने कर, शुल्क र भाडा आदि जस्ता राजश्व बुझाउन बांकी रहेमा न.पा बाट प्रदान गरिने सिफारिस लगायतका कुनै पनि सेवा प्रवाहबाट बंचित गरिनेछ ।

६) अन्य बांकी करहरुका हकमा ऐन तथा नियमावलीमा तोकिएको परिधिभित्र रहि नगरसभाले तोके बमोजिम हुनेछ जुन सामान्यतया कारोबारको स्तर हेरि जरिवाना तोकिने छ ।

**दफा ६ सँग सम्बन्धीत
अनुसुची ५**

दैनिक गुद्री (बहाल बितौरी) कर :-

| सि.नं. | विषय शिर्षक | बिवरण | पारित करको दर रकम रु. |
|--------|--|---|-----------------------|
| १ | माछा, मासु बिक्री सम्बन्धि | खसी, बोका काटी मासु बिक्री गर्ने पसलमा प्रति गोटा | २५ |
| | | सुगुर बंगुर काटी मासु बिक्री गर्ने पसलमा प्रति गोटा | २५ |
| | | रांगा काटी मासु बिक्री गर्ने पसलमा प्रति गोटा | ५० |
| | | कुखुरा काटी मासु बिक्री गर्ने पसलमा | २० |
| | | माछा बिक्री गर्ने पसलमा (५ के.जी. सम्म) | २५ |
| | | माछा बिक्री गर्ने पसलमा (५ के.जी. देखि माथि) | ३० |
| २ | कपडा तथा जुत्ता चप्पलआदि सँग सम्बन्धित पसल | रेडिमेड सामान राखी बिक्री गर्ने पसलमा | २० |
| | | थान कपडा बिक्री गर्ने पसलमा | १५ |
| | | जुत्ता चप्पल बिक्री पसलमा सानो | १५ |
| | | जुत्ता चप्पल बिक्री पसलमा ठूलो | २० |
| | | जुत्ता चप्पल सिलाई गर्ने मोचि | १० |
| ३ | तरकारी तथा फलफुल सम्बन्धि | फलफुल, नास्ता ठेलामा राखी बिक्री गर्ने पसलमा | १५ |
| | | साग सब्जी डोका वा डालामा राखी बिक्री गर्ने | १० |
| | | भारमा सब्जी आदि ल्याई बिक्री गर्ने | १० |
| | | सिजन अनुसारको सागसब्जी आलु पसल ठूलो | १५ |
| | | सिजन अनुसारको सागसब्जी आलु पसल सानो | १० |
| | | फलफुल सागसब्जी पसल अन्यमा | १० |
| | | फलफुल सागसब्जी प्रति वयलगाडा | २५ |
| | | फलफुल सागसब्जी बोरा । खुद्रा पसल | २० |
| ४ | खाधन्यसंग सम्बन्धित | ढाकीमा ल्याई बेच्ने दाल, चामल, पिठो, च्यूरा आदिमा | १० |
| | | बिस्कुट, चकलेट, पाउरोटी, साबुन बिक्री गर्ने पसलमा | १५ |
| | | मिठाई पसलमा | ५ |
| | | चटपटी तथा बरफ | ५ |
| | | चिया पसल | १० |
| | | माछा, मासु, तरकारी पकाई बिक्री गर्ने पसलमा | १५ |
| | | अदुवा, लसुन, खुर्सानी, कुचो नांगलो बेच्नेसंग | १५ |
| | | चामल दाल बिक्री गर्ने पसल | २० |
| | | बीउ विजन बिक्री गर्ने पसलमा | १० |
| | | चकटी आदि बेच्नेसंग | १० |
| | | मकै पोली बेच्नेसंग | १० |
| | | जडीबुटी बिक्री गर्नेसंग | १० |
| | | किराना पसलमा | १५ |
| | | अन्य छुटपुट भसलमा रु १ देखि रु १० सम्म | |
| ५ | पशुपक्षि जिउदा | | |

| | | | |
|---|----------------------------|---|-----|
| | बिक्रीसंग सम्बन्धित | कुखुरा, हांस बिक्री गर्ने पसल प्रतिगोटा | १० |
| ६ | परम्परागत शिपसंग सम्बन्धित | जुत्ता चप्पल सिलाई गर्ने मोचि संग | १० |
| | | कपाल काटने सैलुनमा | १० |
| | | माटोको भांडा बेच्ने पसल ठूलोमा | १० |
| | | माटोको भांडा बेच्ने पसल सानोमा | ५ |
| | | कुचो, कुनिया, खोगी डोको नाङ्लो बेच्ने | १५ |
| | | | |
| ७ | अन्य व्यवसाय संग सम्बन्धित | खटियामा सामान राखी बिक्री गर्ने पसलमा प्रति गोटा | १० |
| | | फालमका औजार तथा समान बिक्री गर्ने पसलमा | १० |
| | | भाडाकुडा पसलमा | १० |
| | | फोटो फ्रेमिड तथा बिक्री पसल | १० |
| | | लाइट, पेट्रोमेक्स, स्टोभ, छाता मर्मत पसलमा | १० |
| | | बास प्रति वयल गाडा | ३० |
| | | बांस प्रति ट्याक्टर | २०० |
| | | प्रचार प्रसार गरी व्यावसाय गर्ने विज्ञापन सम्बन्धी पसलमा | २० |
| | | खेल तमासा, जादू चटकी आदिमा | १० |
| | | चुरी, धागा, टीका आदि श्रृंगार तथा मनहारी पसल ठूलोमा | १५ |
| | | चुरी, धागा, टीका आदि श्रृंगार तथा मनहारी पसल सानोमा | १० |
| | | मुरली, बासुरी, गुलेली, थैली, जुम्रा, उडुस आदी मार्ने ओषधी बिक्री गर्ने | १० |
| | | उल्लेखित कर तथा दस्तुरका दररेटमा कुनै परिवर्तन गर्नुपरेमा नगरपालिकाले गर्न सक्नेछ । | |

नोट:- माथि नपरेको व्यावसायको हकमा नगरपालिकाले निर्णय गरि रु १ देखि १० सम्म कर लिन सक्नेछ ।

**दफा ७ सँग सम्बन्धीत
अनुसुची ६**

विज्ञापन कर

| सि.नं. | बिवरण | पारित कर रकम |
|--------|---|--------------|
| १ | होर्डिड बोर्ड पूर्वपश्चिम लोकमार्ग प्रति वर्गफिट | ५०। |
| २ | होर्डिड बोर्ड सिनेमाहलरोडमा प्रति वर्गफिट | ३०।- |
| ३ | होर्डिड बोर्ड शाखा रोडमा प्रति वर्गफिट | २५। |
| ४ | फ्ल्याक्स बोर्ड पूर्वपश्चिम लोकमार्ग प्रति वर्गफिट | ४०।- |
| ५ | फ्ल्याक्स बोर्ड शाखा रोडमा प्रति वर्गफिट नगर क्षेत्रभित्र | २५।- |
| ६ | कपडाको ब्यानर प्रति वर्गफिट नगर क्षेत्रभित्र | १०।- |

**दफा ८ सँग सम्बन्धीत
अनुसुची ७**

चलचित्र,टेलिचलचित्र, बृत्तचित्र निर्माण, परामर्श सेवा, अनुसन्धान तथा परामर्शदाता, अनुवादक, आदि ।

| सि.नं. | विवरण | पारित कर रकम |
|--------|---------------------------|--------------|
| १ | ३ लाख सम्म | १०००१- |
| २ | ३ लाख १ देखि ५ लाख सम्म | १५००१- |
| ३ | ५ लाख १ देखि १५ लाख सम्म | २०००१- |
| ४ | १५ लाख १ देखि २० लाख सम्म | २५००१- |
| ५ | २० लाख १ देखि १ करोड सम्म | ३५००१- |
| ६ | १ करोड १ देखि ५ करोड सम्म | ७०००१ |
| ७ | ५ करोड १ देखि माथि | १००००१- |

केवल नेटवर्क ब्यवसाय: वार्षिक प्रतिग्राहक रु.१० का दरले व्यवसाय शुल्क लगाईने छ ।

मेला, सर्कस, महोत्सव, कन्सर्ट तथा आवधिक मनोरन्जनात्मक सेवाहरू

| सि.नं. | विवरण | पारित कर रकम |
|--------|----------------------------|--------------|
| १ | १ दिन सम्म लाग्ने | १०००१- |
| २ | १ देखि २ दिन सम्म | १५००१- |
| ३ | ३ देखि ५ दिन सम्म लाग्ने | २०००१- |
| ४ | ५ देखि ७ दिन सम्म लाग्ने | २५००१- |
| ५ | ७ देखि १५ दिन सम्म लाग्ने | ३५००१- |
| ६ | १६ देखि ३० दिन सम्म लाग्ने | ७०००१ |
| ७ | १ महिना देखि माथि लाग्ने | १००००१- |

दफा ९ सँग सम्बन्धीत

अनुसुची ८

दस्तुर तर्फ:

| सि.नं. | विवरण | दस्तुर रु | कैफियत |
|-------------------------------|--|-----------|---|
| १ | घर र जग्गा सम्बन्धि सिफारीस | | |
| | १.१ मोही नामसारी तथा मोही बाँडफाँड सिफारीस | ५००.०० | एक कठ्ठा भन्दा माथि प्रति कठ्ठा थप रु. ५०। |
| | १.२ जग्गा नामसारी सिफारीस | ५००.०० | एक कठ्ठा भन्दा माथि प्रति कठ्ठा थप रु. ५०। |
| | १.३ मोही लगत कउट्टा सिफारीस | ५००.०० | एक कठ्ठा भन्दा माथि प्रति कठ्ठा थप रु. ५०। |
| | १.४ अपुताली सिफारीस दस्तुर | १५००.०० | एक कठ्ठा भन्दा माथि प्रति कठ्ठा थप रु. ५००। |
| | १.५ चार किल्ला सिफारीस (एक कठ्ठा सम्मको) | ४००.०० | एक कठ्ठा भन्दा माथि प्रति कठ्ठा थप रु. २५। |
| | १.६ निवेदन दस्तुर | १०.०० | |
| | १.७ पक्की घर प्रमाणीत | ६००.०० | |
| | १.८ कच्ची घर प्रमाणीत | ३००.०० | |
| | १.९ बसोवास प्रमाणीत | ५००.०० | |
| १.१० व्यवसायिक घर कोठा खोल्ने | २०००.०० | | |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|---|---------|---|
| | | १.११ आवासिय घर कोठा खोल्ने , घर नामसारी | १०००.०० | |
| | | १.१२ हकभोग तथा जोतभोग तथा छुट दर्ता सिफारीस | ५००.०० | एक कट्टा भन्दा बढिका लागी प्रति कट्टा रु ३००। |
| | | १.१३ उद्योग सम्बन्धि घरमा आगलागि (न.पा.मा दर्ता भएका) | २५०.०० | वीमा प्रयोजनका लागि, अन्यका लागि निशुल्क |
| | | १.१४ साना घरेलु उद्योगमा आगलागि सिफारीस | २५००.०० | वीमा प्रयोजनका लागि, अन्यका लागि निशुल्क |
| | | १.१५ मझौला उद्योगमा आगलागि सिफारीस | ४०००.०० | वीमा प्रयोजनका लागि, अन्यका लागि निशुल्क |
| | | १.१६ ठूला उद्योगमा आगलागि सिफारीस | ७५००.०० | वीमा प्रयोजनका लागि, अन्यका लागि निशुल्क |
| | | १.१७ सर्वसाधारणको घर टहरामा आगलागि सिफारीस | निशुल्क | |
| | | १.१८ नक्सा पास किताव दस्तुर | ५००.०० | |
| | | १.१९ संघसंस्थाको बैक खाता खोल्दा | ३००.०० | |
| | | १.२० रिक्सा ठेलाको ब्लु बुक दस्तुर | ५०.०० | |
| | | १.२१ सवै किसिमका फारम दस्तुर | १०.०० | राजश्वका फारमहरु निशुल्क पाईने र निशुल्क भरीने (IPT को लागि मात्र) |
| | | १.२२ नाम, उमेर थर लगायत संसोधन | ५००.०० | विद्यार्थिको प्रमाणपत्र सच्याउने हकमा पचास प्रतिशत छुट |
| | | १.२३ व्यवसाय प्रमाण पत्र दस्तुर | १५०.०० | |
| | | १.२४ पक्की घर कायम सिफारीस | ५१०.०० | एक हजार वर्गफिट भन्दा माथिको हकमा प्रति वर्ग फुट रु १ प्रारम्भ देखी |
| | | १.२५ टिनको छाना भएको कच्ची घर कायम सिफारीस | ४००.०० | |
| | | १.२६ कच्ची घर सिफारीस | २००.०० | |
| | | १.२७ ई रिक्स दर्ता सिफारिस | ५००.०० | |
| | | १.२८ नाता प्रमाणीत लगायत सिफारीस | | |
| २ | नागरिकतासँग सम्बन्धित सिफारीस | २.१ नागरीकता प्रमाणपत्र सिफारीस (बंशजका आधारको लागि) | १००.०० | दलितका तथा अपाङ्ग परिचय पत्र क र ख वर्गका लागि निशुल्क |
| | | २.२ नागरीकता सर्जिमिन | ४००.०० | |
| | | २.३ नागरीकताको प्रतिलिपी | १००.०० | |
| | | २.४ अंगीकृत नागरीकता | ५००.०० | |
| | | २.५ बैवाहीक अंगीकृत नागरिकता सिफारीस | ५००.०० | |
| | | २.६ नावालक परिचय पत्र सिफारिस | ५००.०० | |
| ३ | पंजिकरणसँग सम्बन्धित प्रमाणित सिफारिस | ३.१ विवाह प्रमाणीत | ६००.०० | अंग्रेजीमा ८०० |
| | | ३.२ जन्म प्रमाणीत | ५००.०० | अंग्रेजीमा ७०० |
| | | ३.३ मृत्यु प्रमाणीत | ५००.०० | अंग्रेजीमा ७०० |
| | | ३.४ बसाईसराई प्रमाणीत | ५००.०० | अंग्रेजीमा ७०० |
| | | ३.५ अविवाहीत प्रमाणीत/ जिवीत प्रमाणित | ५००.०० | अंग्रेजीमा ७०० |
| ४ | व्यक्तिसँग सम्बन्धित सिफारिस | ४.१ चारीत्रिक एवम् सूचीकृत वर्ग सिफारीस स्थायी बसोवास भएका लागी | २१०.०० | उल्लेखित सिफारीसमा सर्जिमिन गर्न परेमा सो को दस्तुर पुन छुटै लाग्ने छ । |
| | | ४.२ चारीत्रिक एवम् सूचीकृत वर्ग सिफारीस बेलबारी नपा मा स्थायी बसोवास नभएको हकमा | ५१०.०० | ४.७ को हकमा उद्योग वाणिज्य संघको तथा वडा कार्यालयको सिफारिस आवश्यक रहने । |
| | | ४.३ नेपाली पेन्सन पट्टा बहाकका लागि गरेको जुनसुकै सिफारीस | ३००.०० | |

| | | | | |
|---|--|--|----------|-------------------------------------|
| | | ४.४ भारतीय पेन्सन बहाकका लागि जुनसुकै सिफारीस | ८००.०० | |
| | | ४.५ अन्य देशका पेन्सन बहाकका लागि जुनसुकै सिफारीस | १५००.०० | |
| | | ४.६ बैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मृत्य भएको व्यक्तिको सिफारीस | निशुल्क | |
| | | ४.७ व्यवसाय बन्द सिफारीस | २००.०० | |
| | | ४.८ पसल कोठा आगलागि भएमा विमा बापत सिफारीस | निशुल्क | |
| | | ४.९ नाता प्रमाणीत नेपालीमा | ४५०.०० | |
| | | ४.१० नाता प्रमाणीत अंग्रेजीमा | ८००.०० | |
| | | ४.११ नम्बरी जग्गाको रुख काट्ने सिफारीस | १०००.०० | १ भन्दा बढी रुख भए प्रति रुख २००।०० |
| | | ४.१२ सहूलियत काठको सिफारीस | ७००.०० | |
| ५ | माग निवेदनका आधारमा जग्गा छुट्याउने काम (अभिनद्वारा) | ५.१ पन्छ धुर सम्मको लागि | ५००.०० | |
| | | ५.२ पन्छ धुर देखी छ कठ्ठा सम्म | ६००.०० | |
| | | ५.३ छ कठ्ठा देखी एक बिगाहा सम्मको लागि | १०००.०० | |
| | | ५.४ एक बिगाहा देखी दुई बिगाहा सम्मको लागि | २०००.०० | |
| | | ५.५ दुई बिगाहा देखी माथि को लागि | ३०००.०० | |
| | | ५.६ घर बनाउदा किचलो परी जग्गा छुट्याउदा | ५००.०० | |
| ६ | उद्योग दर्ता सिफारीस | ६.१ चाउचाउ उद्योग/ सिन्के चाउचाउ | १५००.०० | |
| | | ६.२ विस्कुट उद्योग | १५००.०० | |
| | | ६.३ चप्पल उद्योग | १५००.०० | |
| | | ६.४ सलाई उद्योग | १५००.०० | |
| | | ६.५ प्लाई उड उद्योग | ३०००.०० | |
| | | ६.६ कपडा उद्योग | ३०००.०० | |
| | | ६.७ बरफ उद्योग | ६००.०० | |
| | | ६.८ कन्फेसनरी उद्योग | ६००.०० | |
| | | ६.९ काष्ठ उद्योग | २०००.०० | |
| | | ६.१० स मिल सहितको काष्ठ उद्योग फर्निचर समेत | ३०००.०० | |
| | | ६.११ फर्निचर मात्र | १५००.०० | |
| | | ६.१२ ग्यारेज | १०००.०० | |
| | | ६.१३ पेट्रोल पम्प | १००००.०० | |
| | | ६.१४ मट्टितेल डिलर | १०००.०० | |
| | | ६.१५ स्टेशनरी वा कपी उद्योग | २५००.०० | |

| | | | |
|--|---|----------|--|
| | ६.१६ डिस्टीलरी वा ब्रुअरी उद्योग | ५०००.०० | |
| | ६.१७ हल्का पेय जुस पदार्थ उद्योग | २०००.०० | |
| | ६.१८ प्लास्टिक उद्योग | ३०००.०० | |
| | ६.१९ पाउरोटी, केक, दुनट उद्योग | १०००.०० | |
| | ६.२० ग्रील उद्योग | ७००.०० | |
| | ६.२१ गलैचा उद्योग | ५०००.०० | |
| | ६.२२ गार्मेन्ट उद्योग | ३०००.०० | |
| | ६.२३ कुटानी पिसानी मिल | ६००.०० | |
| | ६.२४ भुजीया उद्योग | ६००.०० | |
| | ६.२५ ईटा तथा टायल उद्योग आधुनीक भट्टा जडित | ७०००.०० | |
| | ६.२६ ईटा तथा टायल आधुनीक यन्त्र जडान नगरीएको | ५०००.०० | |
| | ६.२७ क्रसर उद्योग | १००००.०० | |
| | ६.२८ मिनिरल वाटर उद्योग | ५०००.०० | |

| | | | |
|--|--|---------|--|
| | ६.२९ तामा, पित्तल, फलाम, आल्मुनीयम जस्ता धातु उद्योग (घरेलु) | १०००.०० | |
| | ६.३० अफसेट प्रेश | २५००.०० | |
| | ६.३१ प्रेश बाहेक प्रिन्टिङ तथा लेवल उद्योग | १०००.०० | |
| | ६.३२ जुट उद्योग | १०००.०० | |
| | ६.३३ कुटानी पिसानी दुई भन्दा बढि प्रकारका काम गर्ने ठूला उद्योग | १०००.०० | एक भन्दा बढि भए प्रति गोटा थप रु ५००। |
| | ६.३४ सस, अचार उद्योग | १०००.०० | |
| | ६.३५ सिमेन्टका पाईप तथा पोल उद्योग | ५०००.०० | |
| | ६.३६ खैनी उद्योग | ५०००.०० | |
| | ६.३७ चुरोट विंडी उद्योग | ५०००.०० | |
| | ६.३८ चुरोट, विंडी उद्योग घरेलु | १०००.०० | |
| | ६.३९ बेतबाँसको फर्निचर उद्योग | ५००.०० | |

| | | | | |
|---|---|---|------------------------|--|
| | | ६.४० लुत्रिकेन्डस उद्योग | २००००.०० | |
| | | ६.४१ प्लटिड ब्यावसाय | ५०००.०० | |
| | | ६.४२ माथि उल्लेख नगरिएका उद्योगको हकमा निरीक्षण गरि | ६०० देखि २०००० सम्म | |
| | | नोट : उल्लेखित उद्योग दर्ता सिफारिसमा लाग्ने दस्तुरको ५० प्रतिशत नविकरण सिफारिस दस्तुर लाग्ने छ । | | |
| ७ | निजी शिक्षण संस्था दर्ता एबम् अन्य कामका लागि गरीने सिफारीस | ७.१ आधारभुत विद्यालय दर्ता तथा सिफारिस | ५०००.०० | |
| | | ७.२ माध्यमिक विद्यालय | १२५००.०० | |
| | | ७.३ क्याम्पस | २००००.०० | |
| | | ७.४ प्राविधिक शिक्षण संस्था | १००००.०० | |
| | | ७.५ स्तर बृद्धीका लागि सिफारीस | ५०००.०० प्रति विषय | |

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| ८ | घर तथा बाटो प्रमाणीत गरीने सिफारीस (अंश वण्डा हकछोड्ने, परिवार भित्रमा नामसारी, बक्स, दाईजो तथा बैकिड प्रयोजनको हकमा) | ८.१ १ कठ्ठा सम्मको क्षेत्रफलमा | ५००.०० | |
| | | ८.२ १ कठ्ठा देखी ५ कठ्ठा सम्मको | १२००.०० | |
| | | ८.३ ५ कठ्ठा देखी १० कठ्ठा सम्म | १७००.०० | |
| | | ८.४ १० कठ्ठा देखी १ विघाह सम्म | २५००.०० | |
| | | ८.५ १ विघाह देखी ३ विघाह सम्म | ३५००.०० | |
| | | ८.६ तीन विगाहा देखी माथि | प्रति कठ्ठा रु १०० का दरले | |
| ९ | बाटो प्रमाणीत गरीने सिफारीस (विक्री प्रयोजनको लागि) | ९.१ प्रति कठ्ठा २० लाख निर्धारण भएको हकमा | एक कठ्ठा सम्म रु २००० एक कठ्ठा भन्दा वढि भएमा प्रति धुरले हिसाव गरिने | एकीकृत सम्पत्तिकरको प्रति कठ्ठा मुल्याडकनलाई आधार बनाइ |
| | | ९.२ प्रति कठ्ठा २० लाख भन्दा मुनी १५ लाख सम्म निर्धारण भएको हकमा | एक कठ्ठा सम्म रु १५०० एक कठ्ठा भन्दा वढि भएमा प्रति धुरले हिसाव गरिने | |
| | | ९.३ प्रति कठ्ठा १५ देखि मुनी १० लाख सम्म निर्धारण भएको हकमा | एक कठ्ठा सम्म रु १००० एक कठ्ठा भन्दा वढि भएमा प्रति धुरले हिसाव गरिने | |
| | | ९.४ प्रति कठ्ठा १० लाख भन्दा मुनी | सि.नं. ८ अनुसार | |
| १० | घर नक्सा पास दस्तुर | १०.१ १००० बर्गफूट सम्म नक्सा पास गर्दा प्रतिवर्गफूट | ३.५० | (क) पटक-पटक गरी नक्सा पास गर्नेका हकमा कुल क्षेत्रफलका आधारमा कुनवर्गमा पर्ने हो सो निर्धारण गरी सोही वर्गको कर लिईने छ । |
| | | १०.२ १००० बर्गफूट माथि २००० सम्मको लागि प्रतिवर्गफूट | ४.५० | |
| | | १०.३ २००० माथि २५०० बर्गफूट सम्मको | ५.५० | |

| | | | | |
|----|---|--|-----------------------|--|
| | | लागि | | (ख) नक्सा संसोधन गर्दा कूल बुझाउनु पर्ने दस्तुर थप ३० प्रतिशत दस्तुर लिईने छ । (ग) कायम भएको दस्तुरको ५० प्रतिशत धरौटी वापत नगरपालिकामा जम्मा गर्नुपर्ने छ । जुन निर्माण सम्पन्न भएको दुई वर्ष भित्र सम्बन्धित घरधनीलाई फिर्ता दिईने छ । घर सम्पन्न भएको दुई वर्ष भित्र लिन नआएमा कानून बमोजिम सदर स्याहा गरीने छ । |
| | | १०.४ २५०० बर्गफुट देखी ४००० बर्गफुट सम्मको लागि | ६.५० | |
| | | १०.५ ४००० बर्गफुट भन्दा माथि जतिसुकै भएपनि | ७.०० | |
| | | १०.६ पर्खाल प्रति रनिङ्ग फिट | १.०० | |
| | | १०.७ काठको घर वा टाँडे घर | २५०.०० | |
| | | १०.८ भुईतलामा पक्की दिवाल भइ माथि टिनको छाना भएको | ४००.०० | |
| | | १०.९ नगरपालिका घोषणा हुनुपूर्व निर्माण भएका घरहरुको हकमा | | नगरपालिकाले तोकेको समय भित्र नक्सा पास नगराएमा तोके बमोजिमको जरीवाना हुनेछ । आ.व. ०७१।७२ भित्र नगरपालिका घोषणा हुनु पूर्वका घर नक्सा पास नगराएमा चालु आ.व. का लागि प्रस्ताव भएको दस्तुर लाग्ने छ र जरीवाना वापत २५ प्रतिशत थप दस्तुर लाग्नेछ । |
| ११ | घर नक्सा नामसारी दस्तुर | ११.१ १००० बर्गफिट सम्मको घर नक्सा नामसारी | १५००.०० | (क) घर जग्गा धनीको मृत्यु भई प्रचलित कानून बमोजिम एका सगोलका परीवारमा नामसारी गर्नु पर्दा १००० बर्गफिट सम्मको घरमा रु. १०००। सो भन्दा माथि जतिसुकै भए पनि रु.२५००। लिईने छ । |
| | | ११.२ १००० देखी माथि २००० बर्गफुट सम्मको घर नक्सा नामसारी | ३०००.०० | |
| | | ११.३ २००० देखी माथि ३००० बर्गफुट सम्मको घर नक्सा नामसारी | ४५००.०० | |
| | | ११.४ ३००० देखी माथि ४००० बर्ग फीट सम्मको | ६०००.०० | |
| | | ११.५ ४००० देखी माथि ५००० बर्गफिट सम्मको | ८०००.०० | |
| | | ११.६ ५००० बर्गफिट भन्दा माथि प्रति बर्ग फिट बराबर | प्रतिवर्ग फिट रु.२.०० | |
| १२ | घर निर्माण क्षेत्र रेखांकन, निरीक्षण लगायतका दस्तुर | १२.१ घर नक्सा निरीक्षण दस्तुर | १००.०० | नगरपालिकाले भवन सहिता लागू गरे पछि वा सो पूर्व परामर्शदाता वा छुट्टै |
| | | १२.२ लेआउट दस्तुर | ५००.०० | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|---|--|
| | | | | कर्मचारीबाट नक्सा र निर्मित घरको भेरीफीकेशन, संहिता पालना का विषयमा फिल्डमा सहजिकरण गरेवापत छुट्टै तोकिएको दस्तुर लाग्नेछ । | |
| १३ | अन्य सिफारिस दस्तुर | १३.१ कच्ची घरमा विद्युत जडान सिफारिस | २५०.०० | | |
| | | १३.२ टिनको छाना भएको कच्ची घर विद्युत जडान सिफारिस | ३५० | | |
| | | १३.३ पक्की घरमा विद्युत जडान सिफारिस | ५००.०० | | |
| | | १३.४ थ्रिफेज लाईन जडान सिफारिस | १०००.०० | | |
| | | १३.५ खानेपानीको धारा जडान | ४००.०० | | |
| | | १३.६ संस्था दर्ता सिफारिस | १०००.०० | | |
| | | १३.७ सिनेमा हल खोल्ने सिफारिस | १५०००.०० | | |
| | १३.८ मेला सर्कस अनुमति सिफारिस | न्यूनतम एक दिन सम्मका रु ३०००.०० थप प्रतिदिन रु २०००.०० | | | |
| | | | १३.९ टेलीफोन जडान सिफारिस | १००.०० | |
| | | | १३.१० रिक्सा ठेला दर्ता, नविकरण तथा नामसारी दस्तुर | १००.०० | |
| | | | १३.११ जुनसुकै प्रकारका सरजमिन | ४००.०० | |
| १३.१२ माथि उल्लेख नभएका दस्तुरको हकमा | | | ५००.०० | | |
| १४ | प्रतिलिपी सिफारिस | १४.१ नक्सा पास सम्बन्धी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी | १०००.०० | | |
| | | १४.२ घरको नक्साको प्रतिलिपी | १०००.०० | | |
| | | १४.३ व्यवसाय प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी | १५०.०० | | |
| | | १४.४ अन्य प्रमाण-पत्र | १००.०० | | |
| | | १४.५ प्रमाणपत्र बाहेक अन्यको प्रतिलिपी प्रतिपाना | ५.०० | | |
| | | १४.६ मालपोत तथा एकिकृत सम्पती कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपी | ५०.०० | | |

दफा १० सँग सम्बन्धीत
अनुसुची ९

छुट दण्ड जरिवाना सम्बन्धि ब्यवस्था

- क) नगरपालिका घोषणा हुनुपूर्व बनेका मापदण्ड अनुसार निर्माण भएका भवनको हकमा घर नक्शापास गरी नियमित गराउनका लागि लाग्ने दस्तुरमा तीन महिना भित्र पेश भएमा ५० प्रतिशत छुट दिईने छ ।
- ख) नगरपालिका घोषणा भई सके पछिका सम्पूर्ण मापदण्ड अनुसार हाल निर्माण भई सकेका भवनको हकमा घर नक्शापास गरी नियमित गराउनका लागि ३५ दिन भित्र लाग्ने शुल्कमा २५ प्रतिशत थप जरिवाना गर्ने सो भन्दा पछि लाग्ने दस्तुरमा ५० प्रतिशत जरिमाना लाग्ने छ ।
- ग) भवन निर्माण ईजाजत नलिई हाल निर्माण भईरहेका सम्पूर्ण मापदण्ड अनुसारका भवनको हकमा घर नक्शापास गरी नियमित गराउनका लागि ३५ दिन भित्र लाग्ने शुल्कमा २५ प्रतिशत थप जरिवाना गर्ने सो भन्दा पछि लाग्ने दस्तुरमा ५० प्रतिशत जरिमाना लाग्ने छ ।
- घ) घर निर्माण ईजाजत लिई स्वीकृत नक्सा बमोजिम घर निर्माण गर्नु पर्नेमा मोहोडा परिवर्तन , डिजाईन परिवर्तन गरी घर निर्माण गरेमा ५० प्रतिशत जरिमाना गरिने छ ।
- ङ) घर निर्माणको प्रथम चरणको ईजाजत लिई दोश्रो चरणको इजाजत नलिईकन घर निर्माण सम्पन्न गरेकाका लागि ५० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने छ ।
- च) बुदा नं क, ख, ग र घ बमोजिम घर नक्सा पास नियमित नगराएको हकमा नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने सम्पूर्ण सेवाबाट बञ्चित गराईने छ ।

| सि.नं. | बिवरण | पारित कर रकम | कैफियत |
|--------|---|----------------------------|---|
| १ | ३५ दिन भित्र दर्ता भएका ब्यक्तिगत घटना | निशुल्क | |
| २ | ३५ दिन नाघि दर्ता हुने ब्यक्तिगत (घटना प्रति घटना) | ५०/- | |
| ३ | नगरपालिका घोषणा हुनुपूर्व बनेका संरचनाको हकमा नक्शापास सम्बन्धि | ५० प्रतिशत | आ.व. २०७४।०७५ मा लागु भएको दस्तुरको आधारमा |
| ४ | नक्शापास नगरि चर लेवल सम्म भौतिक संरचना निर्माण गरेमा | ३० प्रतिशत (थप जरिवाना) | आ.व. २०७४।०७५ मा लागु भएको दस्तुरको आधारमा |
| ५ | नक्शापास नगरि चर भन्दा माथि सम्म भौतिक संरचना निर्माण गरेमा | ६० प्रतिशत (थप जरिवाना) | आ.व. २०७४।०७५ मा लागु भएको दस्तुरको आधारमा |
| ६ | नक्शापास नगरि घर तथा भौतिक निर्माण सम्पन्न गरेमा | १०० प्रतिशत (थप जरिवाना) | आ.व. २०७४।०७५ मा लागु भएको दस्तुरको आधारमा |
| ७ | निश्चित तल्ला वा निश्चित डिजाइनको अनुमति लिई सो भन्दा बढि वा फरक घर निर्माण गरेमा | ७० प्रतिशत (थप जरिवाना) | आ.व. २०७४।०७५ मा लागु भएको दस्तुरको आधारमा |
| ८ | घर निर्माण गर्दा सडकमा जथाभावी निर्माण सामग्री थुपार्नेको हकमा | १००० देखि १५००० सम्म | सडकमा पुगेको अवरोध र क्षतिको आधारमा |
| ९ | निशेधित क्षेत्रमा फोहोर फाल्नेको हकमा | १००० देखि १५००० सम्म | निशेधित क्षेत्र घोषणा न.पा.ले स्थानिय रेडियो तथा पत्रपत्रिका मार्फत जानकारी गराईने |
| १० | निशेधित प्लाष्टिक प्रयोग गर्नेको हकमा | १००० देखि १५००० सम्म | प्लाष्टिक निशेधित क्षेत्र घोषण भए पछि कार्यान्वयन हुने र सोको सुचना न.पा. ले स्थानिय रेडियो पत्रपत्रिकामार्फत जानकारी गराईनेछ । |
| ११ | जथाभावि चौपाय छोड्नेको हकमा | प्रतिदिन १०० देखि ५०० सम्म | |
| १२ | मालपोत वा एकीकृत सम्पत्तिकरको हकमा | २५ प्रतिशत | |

| | | | |
|----|---|-------------|------------------------|
| १३ | व्यावसायको हकमा | १० प्रतिशत | |
| १४ | एकीकृत सम्पत्तिकरको विवरण (क्षेत्र) न.पा. परिषद्ले पारित गरे भन्दा फरक भरि नगरपालिकालाई राजश्व कर छुल्नेको हकमा | १०० प्रतिशत | प्रतेक वर्षको कर रकममा |

नोट: घरनक्शाको हकमा दण्ड जरीवाना कायम गर्दा निरीक्षणमा भएको कर्मचारीको रोहवरमा नक्शा तयार गर्ने कन्सल्टेन्सीलाई साक्षी राखि घरधनीको समेत सहभागितामा न.पा. कर्मचारीले उठाएको टिप्पणीमा तीन पक्षिय हस्ताक्षरको साथै कम्तीमा एकातर्फको सांघियारले हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्नेछ । सो टिप्पणीमा घरनक्सा उपशाखा प्रमुखको अनिवार्य हस्ताक्षर हुनुपर्नेछ । अन्य जरीवानाको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।